6·42

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ललितपुर

पत्रांक /बी-19/वि0मं0क्षे0वि0नि0/2021-22 दिनांक: 12 /11 /2021

अधिशाषी अभियन्ता,
यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रेक्शन एण्ड इन्फ्रांस्ट्रेक्चर डेबलपमेन्ट कारपोरेशन लि0,
(यू0पी0 सिडको), ललितपुर।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष श्री रामरतन कुशवाहा, मा0 सदस्य विधान सभा ललितपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25-08-2021 के क्रम मे आपके द्वारा परस्तुत किये गये प्राक्कलन का परीक्षण एवं कार्यस्थल का स्थलीय सत्यापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, डीआरडीए से कराया गया। सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत संस्तुति पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 02-11-2021 के क्रम मे निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि डीआरडीए के पी0एल0ए0 से TOKEN NO 5821046950 दिनांक 10-11--2021 के द्वारा आपके विभाग के आईडीबीआई बैंक, ललितपुर स्थित बैंक खाता संख्या 1468104000003803 में NEFT / ई-कुबेर के माध्यम से मु0 15,00,000.00 लाख रू0 (पन्द्रह लाख रू0 मात्र) की धनराशि हस्तान्तरित कर दी गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0	कार्य का विवरण	स्वीकृति धनराशि (लाख रू0 में)			प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)
		कार्य की लागत	जी0एस0टी0 की धनराशि	कुल योग	
1	भगवान आदिनाथ कालेज आफ एजुकेशन, महर्रा, ललितपुर में अतिरिक्त कक्ष कक्षाओं के निर्माण	22.35	2.65	25.00	15.00
	योग :-	22.35	2.65	25.00	15.00

उपरोक्त कार्य निम्न प्रतिबंधों/शर्तो के अनुसार ही सम्पादित किये जायेंगे :-

1- उक्त कार्य इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जा रहा है कि सन्दर्भित मार्गों के नोडल विभाग से स्मृति द्वार निर्मित कराये जाने हेतु नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जाय।

2- उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही वित्तीय बर्ष 2021-22 में उपलब्ध धनराशि को स्वीकृत कार्य पर ही व्यय किया जायेगा अन्य किसी कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा।

3- समस्त कार्य विधायक निधि के अंतर्गत जारी मार्ग निर्देशों के अनुरूप ही कराये जायें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

4- जी0एस0टी0 की स्वीकृत धनराशि वास्तविक भुगतान के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक त्रैमास में विवरण/मॉगपत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान की जायेगी।

5- निर्माण कार्यो की प्रयोग में ली जाने वाली सामाग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के सुसंगत एस0ओ0आर0 के अनुसार ही किया जायेगा ।

6- निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की तकनीकि स्वीकृति सहित विस्तृत आगणन अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये। तदनुसार ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

7- कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व सम्बन्धित से अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि से सम्बन्धित विवरण एवं अभिलेख प्राप्त करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो कार्यदायी संस्था इसके लिये उत्तरदायी होगी।

8- विधायक निधि के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का लेखा जोखा अलग से परिपालित किया जायेगा तथा कार्य समाप्ति के उपरांत बचत की धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज अभिकरण को वापस किया जाये। उक्त धनराशि का अन्य मद/कार्य/योजना में व्यय करना वित्तीय अनियमितता होगी।

9- प्रत्येक कार्य स्थल का तीन स्तर का फोटोग्राफ (प्रथम स्तर:- कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, द्वितीय स्तर:- कार्य के दौरान तथा तृतीय स्तर:- कार्य समाप्ति के पश्चात) अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय।

प्राचार्य
भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन
महर्रा, ललितपुर

क्रमश............2...पर

10– अगली किश्त की मॉग के समय प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र व कराये गये कार्य का रंगीन फोटो, जिसमें साइन बोर्ड भी प्रदर्शित हो, प्रस्तुत करनी होगी।

11– स्वीकृत कार्य पर किसी भी प्रकार सेन्टेज चार्जेज/कन्टीजेन्सी देय नहीं होगा ।

12– निर्माण स्थल पर योजना का नाम, साइन बोर्ड अवश्य लगाया जाये जिसमें स्वीकृत कार्य का नाम, धनराशि, माप सहित पूर्ण विवरण एवं संस्तुतिकर्ता मा0 विधायक एवं मा0 सदस्य लोकसभा का नाम अवश्य लिखा जाये।

13– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि विधायक निधि से स्वीकृत कार्य पर शासन से किसी अन्य योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

14– विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्य किसी भी दशा में निजी ठेकेदारी प्रथा से नहीं कराये जायेंगे ।

15– कार्य के स्थलीय भौतिक सत्यापन करने पर धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार का दुरूपयोग दृष्टिगोचर होने पर दुरूपयोग की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

16– यदि स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि स्वीकृत कार्य मौके पर पहले से ही हो चुका है तो उसे श्रमदान घोषित कर दिया जायेगा तथा निर्गत की गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।

17– प्रस्तावित स्वीकृत योजनाओं में स्टाफ/वाहन आदि पर होने वाला आवर्तक व्यय निहित नहीं होगा ।

18– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 08 माह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

19– निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी ।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ललितपुर ।

पत्रॉक 1127 /तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– श्री रामरतन कुशवाहा, मा0 सदस्य विधान सभा ललितपुर की सेवा में सूचनार्थ।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ललितपुर की सेवा में सूचनार्थ ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, ललितपुर।
4– प्रबन्धक, भगवान आदिनाथ कालेज आफ एजुकेशन, महर्रा, जनपद– ललितपुर ।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ललितपुर ।

प्राचार्य
भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन
महर्रा, ललितपुर

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,ललितपुर

पत्रांक /वी–19/वि0मं0क्षे0वि0नि0/2021–22 दिनांक: 10/11/2021

अधिशाषी अभियन्ता,
यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रेक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0,
(यू0पी0 सिडको), ललितपुर।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष श्री रामरतन कुशवाहा, मा0 सदस्य विधान सभा ललितपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25–08–2021 के क्रम मे आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन का परीक्षण एवं कार्यस्थल का स्थलीय सत्यापन अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, डीआरडीए से कराया गया। सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 02–11–2021 के क्रम मे निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि डीआरडीए के पी0एल0ए0 से TOKEN NO 5821046950 दिनांक 10–11–2021 के द्वारा आपके विभाग के आईडीबीआई बैंक, ललितपुर स्थित बैंक खाता संख्या 1468104000003803 में NEFT / ई–कुबेर के माध्यम से मु0 15,00,000.00 लाख रू0 (पन्द्रह लाख रू0 मात्र) की धनराशि हस्तान्तरित कर दी गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0	कार्य का विवरण	स्वीकृति धनराशि (लाख रू0 में)			प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)
		कार्य की लागत	जी0एस0टी0 की धनराशि	कुल योग	
1	भगवान आदिनाथ कालेज आफ एजुकेशन, महरा, ललितपुर में अतिरिक्त कक्ष कक्षाओं के निर्माण	22.35	2.65	25.00	15.00
	योग :–	**22.35**	**2.65**	**25.00**	**15.00**

उपरोक्त कार्य निम्न प्रतिबंधों/शर्तो के अनुसार ही सम्पादित किये जायेंगे :–

1– उक्त कार्य इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जा रहा है कि सन्दर्भित मार्गों के नोडल विभाग से स्मृति द्वार निर्मित कराये जाने हेतु नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ कराया जाय।

2– उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही वित्तीय बर्ष 2021–22 में उपलब्ध धनराशि को स्वीकृत कार्य पर ही व्यय किया जायेगा अन्य किसी कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा।

3– समस्त कार्य विधायक निधि के अंतर्गत जारी मार्ग निर्देशों के अनुरूप ही कराये जायें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

4– जी0एस0टी0 की स्वीकृत धनराशि वास्तविक भुगतान के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक त्रैमास में विवरण/मॉगपत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान की जायेगी।

5– निर्माण कार्यो की प्रयोग में ली जाने वाली सामाग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के सुसंगत एस0ओ0आर0 के अनुसार ही किया जायेगा ।

6– निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की तकनीकि स्वीकृति सहित विस्तृत आगणन अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये। तदनुसार ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

7– कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व सम्बन्धित से अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि से सम्बन्धित विवरण एवं अभिलेख प्राप्त करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो कार्यदायी संस्था इसके लिये उत्तरदायी होगी।

8– विधायक निधि के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का लेखा जोखा अलग से परिपालित किया जायेगा तथा कार्य समाप्ति के उपरांत बचत की धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज अभिकरण को वापस किया जाये। उक्त धनराशि का अन्य मद/कार्य/योजना में व्यय करना वित्तीय अनियमितता होगी।

9– प्रत्येक कार्य स्थल का तीन स्तर का फोटोग्राफ (प्रथम स्तर:– कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, द्वितीय स्तर:– कार्य के दौरान तथा तृतीय स्तर:– कार्य समाप्ति के पश्चात) अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय।

प्राचार्य
भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन
महरा, ललितपुर

क्रमश.....2...पर

10– अगली किश्त की माँग के समय प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र व कराये गये कार्य का रंगीन फोटो, जिसमे साइन बोर्ड भी प्रदर्शित हो, प्रस्तुत करनी होगी।

11– स्वीकृत कार्य पर किसी भी प्रकार सेन्टेज चार्जेज/कन्टीजेन्सी देय नहीं होगा ।

12– निर्माण स्थल पर योजना का नाम, साइन बोर्ड अवश्य लगाया जाये जिसमें स्वीकृत कार्य का नाम, धनराशि, माप सहित पूर्ण विवरण एवं संस्तुतिकर्ता मा0 विधायक एवं मा0 सदस्य लोकसभा का नाम अवश्य लिखा जाये।

13– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि विधायक निधि से स्वीकृत कार्य पर शासन से किसी अन्य योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

14– विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्य किसी भी दशा में निजी ठेकेदारी प्रथा से नहीं कराये जायेंगे ।

15– कार्य के स्थलीय भौतिक सत्यापन करने पर धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार का दुरूपयोग दृष्टिगोचर होने पर दुरूपयोग की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

16– यदि स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि स्वीकृत कार्य मौके पर पहले से ही हो चुका है तो उसे श्रमदान घोषित कर दिया जायेगा तथा निर्गत की गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।

17– प्रस्तावित स्वीकृत योजनाओं में स्टाफ/वाहन आदि पर होने वाला आवर्तक व्यय निहित नहीं होगा ।

18– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 08 माह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

19– निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी ।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ललितपुर ।

पत्रॉक 1127 /तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– श्री रामरतन कुशवाहा, मा0 सदस्य विधान सभा ललितपुर की सेवा में सूचनार्थ।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ललितपुर की सेवा में सूचनार्थ ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, ललितपुर।
4– प्रबन्धक, भगवान आदिनाथ कालेज आफ एजुकेशन, महर्रा, जनपद– ललितपुर ।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ललितपुर ।

प्राचार्य
भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन
महर्रा, ललितपुर